बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या पी0पी0एम0—148 / 2013 4792 / कृ0, पटना दिनांक 17-10-2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा — वित्त विभाग।

विषय — **फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014—15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये), कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए सहायक अनुदान मद में 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपय) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014—15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये), कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के लिए सहायक अनुदान मद में 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोड मैप के प्रथम अध्याय के बिन्दु 1.20 के अनुसार सर्वाधिक उपज देने वाले प्रभेदों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य की परिस्थितियों में अनुकूलता की जांच तथा सत्यापन की आवश्यकता बतायी गयी है। कृषि रोड मैप के अध्याय— 12 के बिन्दु— 6 के अनुसार दूसरे राज्यों में विकसित प्रभेदों को राज्य की परिस्थितियों में परीक्षण की संस्थागत व्यवस्था की जायेगी। उक्त योजना के माध्यम से प्रभेदों के परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कई जगहों पर प्रभेद की खेती कर इसके उपज आदि गुणों को देखेंगे। इस व्यवस्था के होने से केवल उपयुक्त प्रभेद की खेती होगी तथा अनुपयुक्त प्रभेदों की खेती से होने वाले नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। सरकारी अथवा निजी क्षेत्र के प्रभेद परीक्षण में शामिल किये जायेंगे।

3. सहायक अनुदान की निकासी कृषि विभाग के मुख्य लेखा पदाधिकारी करेंगे तथा इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण—पत्र तथा अंकेक्षण प्रमाण—पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

5. उक्त योजनान्तर्गत निकासी के लिए स्वीकृत राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—उपमुख्य शीर्ष—01—फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277—शिक्षा माँग संख्या 1 उप शीर्ष 0108— बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड P2415012770108 राज्य योजना स्कीम कोड— AGR 5042 में कुल उपबंधित राशि 12221.10 लाख रूपये के अधीन विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित 1000 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

6. निकासी के लिए स्वीकृत राशि की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

अनिल कुमार झा

सबौर को उपलब्ध कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत संबंधित महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

7. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक–26.08.2014 को स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148/2013 के पृ0सं0–34/टि. पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेरवाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

10. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–148/2013 के पृ0सं0– 39/टि. पर दिनांक– 16.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.10.14

(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4792 /कृ0, पटना दिनांक 17-10 2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4792 /कृ0, पटना दिनांक 17-10-2014

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4792 /कृ0, पटना दिनांक 17-10-2014

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनिल कुमार झा

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\Varietal Trial.doc

ज्ञापांक– 4792 / कृ0, पटना दिनांक 17-10-2014

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना / उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / कृषि मंत्री के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर / कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा / मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.10.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनिल कुमार झा

D:\2014-15\Sanlekh (2014-15)\Varietal Trial.doc